उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की टर्म लोनयोजना

(अ) इस योजनान्तर्गत उ०प्र० में निवास करने वाले 18 से 50 वर्ष के बीच आयु वर्ग के बेरोजगारों को ऋण प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारुप पर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र रु० 5=00 मात्र का शुल्क भुगतान कर प्रत्येक जनपद के जिला प्रबंधक कार्यालय अथवा निगम मुख्यालय से प्राप्त कर उसे सम्बन्धित जनपद के जिला प्रबन्धक कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

(ब) जाति तथा आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम न हो द्वारा जारी किया गया हो, मान्य होगा।

(स) निगम की योजना के अन्तर्गत लाभार्थी पहचान एवं चयन कार्य हेतु जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है।

(द) अभ्यर्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो अर्थात जिसके/परिवार की वर्तमान में समस्त स्रोतों से वार्षिक आय निम्न प्रकार हो—

(1) शहरी क्षेत्र में रुपये 21,206=00 वार्षिक (2) ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 15,976=00 वार्षिक

(य) निगम द्वारा संचालित मार्जिन मनी एवं टर्मलोन योजना के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के ब्याज दर राष्ट्रीय निगम द्वारा निर्गत न्यूलैंडिंग पालिसी के अनुसार रु० 2:00 लाख तक के ऋण पर 7 प्रतिशत वार्षिक तथा रु० 2:00 लाख से उपर से ऋण पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित है। ट्रान्सपोर्ट ऋण पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होता है।

(द) ऋण की अदायगी 60 बराबर मासिक किश्तों में की जानी है तथा नियमित ऋण अदायगी पर ब्याज में 0-5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी तथा नियमित भुगतान न करने पर 7-5 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान वार्षिक करना होगा। लाभार्थी द्वारा ऋण का दुरुपयोग किए जाने पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ धनराशि एक मुश्त वसूला जायेगा।

समन्वित बाल विकास योजना

जनपद के विकास खण्ड बरहज, रूद्रपुर, सलेमपुर, बैतालपुर, भटनी एवं लार में समन्वित बाल विकास योजना लागू की गई है। इन विकास खण्डों के अत्यंत पिछड़े हुए व दलित श्रमिक सघन ग्रामों, वार्डों, बस्तियों में 1000 न्यूनतम आबादी पर एक-एक आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

इस योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देना है। इस कार्य हेतु चयनित विकास खण्ड के ग्रामों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की नियुक्ति की जाती है। योजनान्तर्गत संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है।

1. ग्रामों में खुले हुए केन्द्रों पर बच्चों को लाना तथा उन्हें औपचारिक साधनों से शिक्षित करना जिससे वे प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश पाने योग्य हो सकें।

2. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा क्षेत्र की ए०एन०एम० तथा प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र से समन्वय स्थापित करके केन्द्र पर आने वाले बच्चों का समय से टीकाकरण करवाना। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं का समय से टीकाकरण तथा स्वास्थ्य परीक्षण कराना जिससे वे जानलेवा बीमारियों से बच सकें।

3. गाँव में लगे हैण्ड पम्प, सार्वजनिक कुएँ, नल आदि की सफाई एवं स्वच्छता के बारे में ग्राम वासियों को अवगत कराना। स्वच्छ जल के उपयोग करने के लिए प्रेरित करना एवं गन्दे जल से होनी वाली बीमारियों से अवगत कराना।

4. पौष्टिक आहार से अवगत कराना, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए अनिवार्य पौष्टिक आहार का ज्ञान कराना, कुपोषण दूर करने के तरीकों से अवगत कराना, कम खर्च पर आसानी से उपलब्ध पदार्थों से अधिकतम पोषित पदार्थ तत्व नष्ट न हो के बारे में जानकारी देना।

5. छोटे परिवार के महत्व को समझते हुए परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों से अवगत कराना, परिवार कल्याण के सभी कार्यक्रमों में सहयोग देना।

6. महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अत्याचार एवं समाजिक कुरीतियों का अनुश्रवण एवं उसके बारे में जानकारी देना। महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं दुराचार, बाल विवाह, दहेज प्रथा के प्रति जागरुक करना।